

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक/तकनीकी/29563

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI)


दिनांक 03-08-2021

कारागृहों में निरूद्ध बंदियों को कॉलिंग (ऑडियो/विडियो) सुविधा उपलब्ध कराने हेतु

कारागार विभाग राजस्थान, जयपुर के अधीन चिन्हित कारागृहों में निरूद्ध बंदियों को उनके नजदीकी रिश्तेदारों/परिजनों से वार्ता कराने हेतु कॉलिंग सुविधा मय वांछित उपकरण उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत फर्मों/टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है। पात्र संवेदक को उक्त कार्य हेतु कम से कम तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया जावेगा।

- न्यूनतम कॉलिंग मिनट्स:- लगभग 1.00 करोड़ मिनट प्रतिवर्ष
- बेसिक उपकरणों की सूची:- सर्वर (कम्प्यूटर मय प्रिन्टर), नेटवर्किंग आइटम्स (नेटवर्क स्विच, वाईफाई राउटर, रैक), जीएसएम ट्रंक, ऑप्टिकल फाइबर, कॉलिंग सर्वर, डिस्पले स्क्रीन्स, स्टील कॅबिनेट (टर्मिनल), बायोमैट्रिक फिंगरप्रिन्टर मय वैंव कैमरा, कार्ड रिडर डिवाइस मय कार्ड रिडर, इनवर्टर (UPS)

उक्त कार्य हेतु अभिरूचि अभिव्यक्त करने वाले टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर फर्म/प्रतिनिधि अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट 15 दिवस में महानिदेशक (कारागार) को संबोधित कर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में संचालित की जाने वाली व्यवस्था के व्यावहारिक प्रदर्शन के लिए अधीक्षक, केंद्रीय कारागृह, जयपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।



(आलोक कुमार वशिष्ठ)

महानिरीक्षक पुलिस कारागार

राजस्थान, जयपुर